



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062021-227423  
CG-DL-E-08062021-227423

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943

No. 317]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2021

आयकर

सा.का.नि. 395(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 194, क194, 194थ, 196घ, 206कख और 206गगक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम 1962 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम व प्रारंभ. -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (17वां संशोधन) नियम 2021 है।

(2) यथा उपबंधित अन्यथा के सिवाय ये राजपत्र में प्रकाशन उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम 1962 में (जिसे इसके पश्चात्सूल नियम कहा गया है) नियम 31क उप नियम (4) में :-

(क) खंड (भ) के खंड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे

धारा 194 क की उपधारा (3) के खंड (भ) के तहत जारी अधिसूचना के मद्देनजर या धारा 194क की उपधारा (5) के तहत दी गई छूट के मद्देनजर सहंत्तकी गई या जमा की गई राशि के विशिष्टियां प्रस्तुत करे।

(ख) खंड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्



								परंतुक के तहत मामलों में शामिल नहीं)	कम राशि की निका सी	की निका सी						
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419क]	[419ख]	[419ग]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1																
2																
3																
कुल																

### सत्यापन

मैं.....स्पष्ट करता हूँ कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।  
 स्थान..... स्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर  
 तारीख..... नाम व पद कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

### टिप्पणी :-

1. धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम कटौती अथवा गैर कटौती के लिए "क" लिखें
2. धारा 197क की उपधारा (1च) में वर्णित मामलों के अलावा धारा 197क के तहत, घोषणा में गैर कटौती के लिए 'ख' लिखें
3. यदि पै नं. प्रस्तुत करने के कारण 206कक के तहत उच्चतर दर पर कटौती हो तो 'ग' लिखें।
4. धारा 194क की उपधारा (5) के तहत जारी अधिसूचना के कारण किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती या न्यूनतम कटौती या न्यूनतम कटौती नहीं होने पर 'घ' लिखें
5. यदि बोर्ड के परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून 2002 अथवा बोर्ड को परिपत्र सं. 11 तारीख 22 नवंबर, 2002 या बोर्ड परिपत्र सं. 18/2017 तारीख 29 मई 2017 में संदर्भित किसी व्यक्ति को भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं हुई है 'ड' लिखें।
6. यदि आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट सीमा से कम भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं है तो 'म' लिखें।
7. यदि कटौतीकर्ता/अदाता को परिवाहक होने के कारण कोई कटौती नहीं है तो "न" लिखें कटौतीकर्ता/अदाता का पै न अनिवार्य है (धारा 194 ग(6) देखें। )
8. धारा 197ठच के तहत अधिसूचित किए जा रहे भुगतान के कारण कोई कटौती या न्यूनतम कटौती नहीं होने पर "य" लिखें
9. धारा 194ड के दूसरे परंतुक के तहत जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती या कम कटौती या कम कटौती है तो 'ड' लिखें।
10. धारा 194 ड के चौथे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण या 194ड के चौथे परंतुक को तहत जारी जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं होने पर 'ड' लिखें।
11. यदि कोई कटौती धारा 194 ठखक की उपधारा (2क) को उपबंधों के अनुसार नहीं है तो 'ण' लिखें।
12. धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड(ड) के तहत अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (घ) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास को दिए गए लाभांश के भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं हुई है तो 'त' लिखें।

13. धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (भ) में संदर्भित किसी ईकाई को किए गए भुगतान को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं होने पर 'थ' लिखें।
14. धारा 194थ की उपधारा (5) के उपबंधो को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'य' लिखें। \*
15. धारा 206कख के मद्देनजर आय की विवरणी दाखिल न करने के कारण कटौती उच्च दर पर होती है तो 'प' लिखें\*
16. धारा कोड की सूची इस प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित राशि का भुगतान	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज	194क
194ख	लॉटरी व क्रॉसवर्ड पहेली से जीत	194ख
194खख	घडदौड से जीत	194खख
194ग	ठेकेदारों व उप ठेकेदारों का भुगतान	194ग
194घ	बीमा आयोग /कमीशन	194घ
194घक	जीवन बीमा नीति के संबंध में भुगतान	194घक
194डड	राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमा राशि के संबंध में भुगतान	194डड
194च	परस्परिक निधि या यूटीआई द्वारा ईकाइयों के खरीद के कारण भुगतान	194च
194छ	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन	194छ
194ज	दलाली पर कमीशन	194ज
194झ(क)	किराया	194झक
194झ(ख)	किराया	194झख
194ञ(क)	सिनेमेटोग्राफी फिल्मों और कॉल सेंटर के प्रदर्शन वितरण तथा ब्रिकी के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए फीस(पेशेवर सेवा नहीं) के लिए रॉयल्टी @2%	194ञ(क)
194ञ(ख)	पेशेवर सेवा या रॉयल्टी आदि के लिए फीस	194ञ(ख)
194ट	इकाइयों के संबंध में आय	194ट
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्तियों के अधिग्रहण पर मुआवजे का प्रतिकर	194ठक
194ठखक(क)	व्यावसायिक न्यास को इकाई से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में निश्चित आय	194ठखक(क)
194ठखक(ख)	व्यावसायिक न्यास की इकाइयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में निश्चित आय	194ठखक(ख)
194ठख	विनिधान निधि की इकाई के संबंध में आय	194ठख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	194ठखग
194ढ	नकद में कतिपय राशि का भुगतान	194ढ
194ढ प्रथम परंतुक	दाखिल न करने वालों के नकद में कतिपय राशि का भुगतान	194ढ प्रथम परंतुक
194 ण	ई कामर्स प्रतिभागी को ई कामर्स प्रचालकों द्वारा कतिपय राशि का भुगतान	194ण
194थ	माल की खरीद के लिए कतिपय राशि का भुगतान	194थ

**टिप्पणी :-** धारा 194 थ और धारा 206कख के संबंध में परिवर्तन 1 जुलाई 2021 से प्रवृत्त होंगे।

5. मूलनियमों में परिशिष्ट II में ,प्ररूप 27डथ में –

(क) कोष्टकों,शब्दों,अंकों तथा अक्षरों को "धारा 206ग व नियम 31कक देखें" निम्नलिखित कोष्टक, शब्द, अंक और अक्षरों को रखा जाएगा अर्थात्.

धारा 206ग , 206गग, 206गखक एवं नियम 31कक देखें

(ख) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा अर्थात्

"उपाबंध : स्रोत पर का कटौती या कटौतीकर्ता वार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप27डथ के क्रम सं. 4 सारणी की प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए अलग-अलग उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त तिमाही (तारीख/माह/वर्ष) के दौरान प्राप्त नामे की गई राशि और स्रोत पर कर कटौती का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप से 24 छ की रसीद संख्या
जिस तारीख को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख(ता/म/व)
प्ररूप सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.
चालान के अनुसार राशि
स्तंभ 677 के अनुलंब सारणी में कटौती वार्ता में मध्य कुल कर का आवंटन
नीचे वर्णित कटौतीकर्ता में से कुल ब्याज का आवंटन

कटौतीकर्ता का नाम
टैन

क्र. सं.	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का संदर्भ सं. भुगता नकर्ता या कटौती कर्ता द्वारा दिया गया यदि उपलब्ध हो	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का पैन (1- कंपनी 2- कंपनी के अतिरिक्त)	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का नाम	भुगतान जमा की राशि	प्राप्त या जमा राशि	भुगतान या जमा की तारीख (ता/म/व)	धारा कोड (देखें टिप्पणी 10)	कर	अधिभार	शिधा कर	कुल कर एक त्रित	कुल संग्रहण	संग्रहण की तिथि (ता/म/व)	संग्रहण की दर	कटौती का कारण कम कटौती/ उच्च कटौती	निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी धारा 206 के तहत प्रमाण पत्र संख्या न्यूनतम कटौती	क्य अधिग्रहण डीडी एस के देनदार है एफ व जी लिखें	अगर हां तो			
																		चालान नं.	टीडी एस जमा करने की तारीख		
[664]	[665]	[666]	[667]	[668]	[669]	[670]	[671]	[672]	[673]	[674]	[675]	[676]	[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681]	[681क]	[681ख]	[681ग]
1																					
2																					
3																					
कुल																					

**सत्यापन**

मैं..... एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विशिष्टियां सही व पूर्ण हैं।  
 स्थान..... स्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर  
 तारीख..... स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पदनाम

**टिप्पण:-**

1. धारा 206ग की उपधारा(9) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण कम संग्रहण हो तो "क" लिखें
2. धारा 206ग की उपधारा(1क) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के कारण कम संग्रहण हो तो 'ख' लिखें
3. यदि संग्रहणकर्ता द्वारा पैन/आधार जमा न करने के कारण धारा 206ग के अधीन संग्रहण अधिक हो तो 'ग' लिखें।
4. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पहले परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हुआ हो तो 'घ' लिखें
5. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के चौथे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हुआ हो तो 'ड' लिखें।
6. उपधारा(1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) अथवा खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना के कारण संग्रहण न हुआ हो तो 'च' लिखें।
7. धारा 206ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'झ' लिखें।

8. स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना को देखते हुए या उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के कारण कोई संग्रहण न हुआ हो तो 'ज' लिखें।
9. धारा 206 गक को देखते हुए संग्रहण उच्च दर पर हो तो 'झ' लिखें।
10. संग्रहण कोड जैसा नीचे उल्लिखित है लिखें:

धारा	संग्रहण की प्रकृति	संग्रहण कोड	
206ग	मानव उपभोग के लिए मादक द्रव्यों से स्रोत पर संग्रहण	6ग	क
206ग	वन पट्टे के अधीन प्राप्त लकड़ी से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ख
206ग	वन पट्टे के अतिरिक्त अन्य तरीके से प्राप्त लकड़ी से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ग
206ग	किसी अन्य वनोपज (तेंदू पत्ता नहीं) के अतिरिक्त प्राप्त स्रोत पर संग्रहण	6ग	घ
206ग	कबाड़ से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ड
206ग	पार्किंग स्थलो से संबंधित पट्टे /लाईसेंसी या ठेकेदारों से स्रोत पर संग्रहण	6ग	च
206ग	टोल प्लाजा से संबंधित पट्टे /लाईसेंसी या ठेकेदारों से स्रोत पर संग्रहण	6ग	छ
206ग	खदान या खनिज भूमि से संबंधित पट्टे /लाईसेंसी या ठेकेदारों से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ज
206ग	तेंदू पत्ते से स्रोत पर कर संग्रहण	6ग	झ
206ग	लोह अयस्क अथवा लिग्नाइट या कोयला आदि खनिजों की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण	6ग	ञ
206ग	आभूषण तथा बुलियन की नकद बिक्री पर कर संग्रहण	6ग	ट
206ग	मोटर वाहनों की बिक्री पर कर संग्रहण	6ग	ड
206ग	विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद के लिए एलआरएस के अधीन विप्रेषण देय पर संग्रहण	6ग	ण
206ग	धारा 80 ई में वर्णित वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण के लिए एलआर एस धन प्रेषण पर स्रोत पर संग्रहण	6ग	त
206ग	विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज के अतिरिक्त या वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण के लिए एल आर एस के अधीन स्रोत पर संग्रहण	6ग	थ
206ग	माल की बिक्री पर स्रोत पर संग्रहण	6ग	द

**टिप्पण:-** धारा 206 गक में परिवर्तन 1 जुलाई 2021 से प्रवृत्त होंगे।

**6. मुख्य नियमों में परिशिष्ट ii में प्ररूप सं. 27थ में**

["धारा 194ड., 194ठख, 194डखक, 194डखख, 194डखग, 194डग, 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 197क और नियम नियम 31क देखें"] कोष्ठकों, शब्दों तथा अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे अर्थात:-

[ 194ड., 194ठख, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194ठग, 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 197क, 206कक, 206कख और नियम नियम 31क]

(क) "उपाबंध" के लिए निम्नलिखित "उपाबंध" को रखा जाएगा अर्थात्

"उपाबंध :- कटौती किए जाने वाले व्यक्तिवार टीडीएस का अलग-अलग मूल्य"

(मुख्य प्ररूप 27थ के क्रम सं. 4 परसारणी की प्रत्येक पंक्ति मद के लिए अलग उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त तिमाही के दौरान भुगतान/जमा की गई राशि का विवरण..... (तारीख/माह/वर्ष) तथा स्रोत पर कर कटौती

शाखा का वीएसआर कोड / प्ररूप से 24छ की रसीद संख्या
जिस तारीख को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख (ता/म/व)
प्ररूप सं. 24छ का चालन क्रम सं. / डीडीओ क्रम सं.
चालान के अनुसार राशि
स्तंभ 726 के अनुलंब सारणी में कटौतीकर्ताओं में मध्य कुल टीडीएस का आवंटन
नीचे उल्लिखित कटौतीकर्ताओं के मध्य कुल ब्याज का आवंटन

कटौतीकर्ता/भुगतान कर्ता का नाम

क्र. सं.	कटौती कर्ता द्वारा दिया	भुगतानकर्ता का कोड (1- कंपनी)	भुगतानकर्ता का पैन नं. या आधार संख्या	भुगतानकर्ता का नाम	धारा कोड (देखें टिप्पण 31)	भुगतान या जमा की तारीख	धारा 194ड में संदर्भित एक करोड़	धारा 194ड के प्रथम परंतुक के	धारा 194ड के पहले परंतुक के	देय या जमा राशि	कर	अधिभार	शिधा उपकर	कुल कर कटौती [722]	कुल जमा कर
----------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	----	--------	-----------	--------------------	------------

	गया भुगतान कर्ता की संदर्भ संख्या यदि उपलब्ध हो	2- कंपनी के अतिरिक्त)	[टिप्पण 12 देखें ]			(ता/म/व)	रूप से अधिक नकद निकासी की राशि पर(धारा 194ड के पहले परंतुक के अधीन मामलों में शामिल नहीं)	खंड (ii) के उप खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों में 20 लाख से अधिक परंतुक 1 करोड़ नकद से कम राशि की निकासी	खंड (II) के उपखंड (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों में 1 करोड़ रूप से अधिक राशि की निकासी					+723 +724]	
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719]	[720]	[720क]	[720ख]	[720ग]	[721]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]
1															
2															
3															
कुल															

कटौती की तारीख(दिन/माह/वर्ष)	जिस दर पर कटौती की गई	कटौती/कम कटौती /प्रोसिंग अप/उच्च कटौती टिप्पण 1 से 10 देखें	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती नहीं कम कटौती के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या कटौती की दर टीडीएस आयकर अधिनियम के अनुसार है (क) टीडीएस (ख)	धन प्रेषण की प्रकृति	एकमात्र पावर्ती सं. प्ररूप 15क यदि उपलब्ध हो	जिस देश में धन प्रेषण किया गया है	कटौती कर्ता की मेल आई डी	कटौती कर्ता का संपर्क नंबर	कटौती करने वाले का पता जिस देश का निवासी हो	कटौती करने वाले का दिन नंबर/विशिष्ट पहचान संख्या
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1											
2											
3											
कुल											

**सत्यापन**

मैं..... एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।  
 स्थान..... स्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर  
 तारीख..... स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और पदनाम

**टिप्पणी :-**

- धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पत्र के कारण यदि कम कटौती या कोई कटौती नहीं तो "क" लिखें
- यदि जोड़ किया गया है तो 'ग' लिखें
- यदि स्थायी खाता संख्या या आधार प्रस्तुत न करने का कारण या आधार से साथ पैन को लिंक न कराने के कारण धारा 206कक के तहत उच्च दर पर कटौती हो तो 'घ' लिखें।
- यदि धारा 194ड के उप-धारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'ड.' लिखें
- धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कम कटौती या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें।
- धारा 194ड के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण या धारा 194ड के तीसरे परंतुक में संदर्भित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण यदि कटौती कम या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें
- धारा 197क की उपधारा (1घ) खंड(क) या (ख)को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'ओ' लिखें।
- धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन जो निर्दिष्ट निधि को भुगतान की गई आय पर छूट प्राप्त है के संबंध में धारा 196घ की उपधारा (1क) के परंतुक को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'ज' लिखें।

9. यदि विदेशी संस्थागत निवेशक को भुगतान या देय धारा 15कघ में संदर्भित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के संबंध में धारा 196घ की उपधारा (2) को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'झ' लिखें।
10. यदि भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान वाले अनिवासी द्वारा आय की विवरणी दाखिल न करने के लिए धारा 206कख को ध्यान में रखते हुए कटौती ज्यादा दर पर है तो 'ज' लिखें।
11. धारा बोर्ड की सूची इस प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित राशि का भुगतान	192क
194ड	अनिवासी खिलाड़ी/खेल संघों को भुगतान	94ई
194ठख	संरचनागत ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय	4ठख
194ठखक(क)	धारा 10(23चग(क)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक(क)
194ठखक(ख)	धारा 10(23चग(ख)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक(ख)
194ठखक(ग)	धारा 10(23चग(क)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक(ग)
194ठखख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	ठखग
194ठग	भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय	4ठग
194ठग	कतिपय बंध पत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय	4ठख
194ढ	नकद में कतिपय राशि का भुगतान	94ढ
194ढ प्रथम परंतुक	दाखिल न करने वालों के नकद में कतिपय राशि का भुगतान	4ढच
195	अनिवासी को अन्य देय राशियां	195
196क	अनिवासी की इकाईयों के संबंध में आय	96क
196ख	अपतटीय निधि में इकाईयों के संबंध में भुगतान	96ख
196ग	अनिवासी को देय विदेशी मुद्रा बंध पत्र या भारतीय कंपनी के शेयर से आय	96ग
196घ(1)	उपधारा (1) के तहत प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय	96घ
194घ(1क)	(धारा 194ठघ में संदर्भित ब्याज आय के अतिरिक्त ) धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित प्रतिभूतियों से निधि की आय	96घक

12. नियम 37 खग के तहत कटौतीकर्ता के मामले में स्थायी खाता सं. या आधार सं. उपलब्ध नहीं है का उल्लेख किया जाना चाहिए

टिप्पण:- धारा 206कख के संबंध में परिवर्तन 1 जुलाई, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

[अधिसूचना संख्या 71/2021/फा. सं. 370142/19/2021-टीपीएल]

कमलेश चंद्र वाष्ण्य, संयुक्त सचिव (कर नीति व विधान प्रभाग)

टिप्पण: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3 उपधारा (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338(अ), तारीख 24 मई, 2021 को किया गया।



**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2021

**(INCOME-TAX)**

**G.S.R. 395(E).**— In exercise of the powers conferred by sections 194,194A,194Q, 196D, 206AB and 206CC read with section 295 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Income-tax (17th Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 31A, in sub-rule (4) —

(a) for clause ‘(x)’ the following clause shall be substituted namely: -

‘(x) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted or deducted at lower rate in view of the notification issued under sub-section (5) of section 194A or in view of exemption provided under clause (x) of sub-section (3) of section 194A.’;

(b) after clause (xiii), the following clauses shall be inserted namely: -

“(xiv) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of clause (d) of the second proviso to section 194 or in view of the notification issued under clause (e) of the second proviso to section 194;

(xv) furnish particular of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of proviso to sub-section (1A) or in view of sub-section (2) of section 196D.;

(xvi) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of sub-section (5) of section 194Q with effect from 1st day of July,2021.”.

3. In the principal rules, in Appendix II, in form 26A, in Annexure A, in clause (ii), the words “, who is a resident,” shall be omitted.

4. In the principal rules, in Appendix II, in form 26Q —

(a) for the brackets, words, figures and letters “[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 197A and rule 31A]” the following brackets, words, figures and letters, shall be substituted namely: -

“[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 194Q, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]”;

(b) for the “Annexure”, the following “Annexure” shall be substituted, namely: -

## “ANNEXURE: DEDUCTEE/PAYEE WISE BREAK UP OF TDS

(Please use separate Annexure for each line-item in Table at Sl. No. 4 of main Form 26Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended... (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number / DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total tax to be allocated among deductees/payees as in the vertical total of Col. 421	
Total interest to be allocated among the deductees/payees mentioned below	

Name of the Deductor/Payer	
TAN	

Sl. No.	Deductee /payee reference number provided by the deductor/payer, if available	Deductee/ payee code (01-Comp any 02-Other than company)	PAN of the deductee / payee	Name of the deductee/ payee	Section code (See Note 16)	Date of payment or credit (dd/mm/yyyy)	Amount paid or credited	Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore as referred to in section 194N (in cases not covered by the first proviso to section 194N)	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 20 lakh but does not exceed Rs 1 crore for cases covered by sub-clause (a) of clause (ii) of first proviso to section 194N	Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore for cases covered by sub-clause (b) of clause (ii) of first proviso to section 194N	Total tax deducted	Total tax deposited	Date of deduction (dd/mm/yyyy)	Rate at which deducted	Reason for non-deduction / lower deduction/ Higher Deduction/ Threshold/ Transporter etc. (See notes 1 to 15)	Number of the certificate under section 197 issued by the Assessing Officer for non-deduction/ lower deduction
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419A]	[419B]	[419C]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1																
2																
3																
Total																

## Verification

I, ....., hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: .....

.....

Signature of the person responsible for deducting tax at source

Date: .....

.....

Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

**Notes:**

1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
2. Write "B" if no deduction is on account of declaration under section 197A other than the cases mentioned in sub-section (1F) of section 197A.
3. Write "C" if deduction is on higher rate under section 206AA on account of non-furnishing of PAN.
4. Write "D" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person or class of person on account of notification issued under sub-section (5) of section 194A.
5. Write "E" if no deduction is on account of payment being made to a person referred to in Board Circular No. 3 of 2002 dated 28<sup>th</sup> June 2002 or Board Circular No. 11 of 2002 dated 22<sup>nd</sup> November 2002 or Board Circular No. 18/2017 dated 29<sup>th</sup> May 2017
6. Write "Y" if no deduction is on account of payment below threshold limit specified in the Income-tax Act, 1961.
7. Write "T" if no deduction is on account of deductee/payee being transporter. PAN of deductee/payee is mandatory [section 194C(6)].
8. Write "Z" if no deduction or lower deduction is on account of payment being notified under section 197A(1F).
9. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.
10. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the third proviso to section 194N or on account of notification issued under fourth proviso to section 194N.
11. Write "O" if no deduction is as per the provisions of sub-section (2A) of section 194LBA.
12. Write "P" if no deduction is on account of payment of dividend made to a business trust referred to in clause (d) of second proviso to section 194 or in view of any notification issued under clause (e) of the second proviso to section 194.
13. Write "Q" if no deduction in view of payment made to an entity referred to in clause (x) of sub-section (3) of section 194A.
14. Write "S" if no deduction is in view of the provisions of sub-section (5) of section 194Q.\*
15. Write "U" if the deduction is on higher rate in view of section 206AB for non-filing of return of income\*.
16. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
193	Interest on securities	193

194	<i>dividend</i>	194
194A	<i>Interest other than interest on securities</i>	94A
194B	<i>Winnings from lotteries and crossword puzzles</i>	94B
194BB	<i>Winnings from horse race</i>	4BB
194C	<i>Payment of contractors and sub-contractors</i>	94C
194D	<i>Insurance Commission</i>	94D
194DA	<i>Payment in respect of life insurance policy</i>	4DA
194EE	<i>Payments in respect of deposits under National Savings Schemes</i>	4EE
194F	<i>Payments on account of repurchase of Units by Mutual Funds or UTIs</i>	94F
194G	<i>Commission, prize etc., on sale of lottery tickets</i>	94G
194H	<i>Commission or Brokerage</i>	94H
194-I(a)	<i>Rent</i>	4-IA
194-I (b)	<i>Rent</i>	4-IB
194J(a)	<i>Fees for Technical Services (not being professional service), royalty for sale, distribution or exhibition of cinematographic films and call center(@2%)</i>	94J-A
194J(b)	<i>Fee for professional service or royalty etc (@10%)</i>	94J-B
194K	<i>Income in respect of units</i>	94K
194LA	<i>Payment of Compensation on acquisition of certain immovable property</i>	4LA
194LBA(a)	<i>Certain income in the form of interest from units of a business trust to a resident unit holder</i>	4BA1
194LBA(b)	<i>Certain income in the form of dividend from units of a business trust to a resident unit holder</i>	4BA2
194LB	<i>Income in respect of units of investment fund</i>	LBB
194LBC	<i>Income in respect of investment in securitization trust</i>	LBC
194N	<i>Payment of certain amounts in cash</i>	94N
194N First Proviso	<i>Payment of certain amounts in cash to non-filers</i>	94N-F

194-O	Payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participant	94O
194Q*	Payment of certain sums for purchase of goods	94Q”

\* Note:- In relation to section 194Q and section 206AB, the changes shall come into effect from 1<sup>st</sup> July, 2021.

5. In the principal rules, in Appendix II, in form 27EQ,-

(a) for the brackets, words, figures and letters “[See section 206C and rule 31AA]”, the following brackets, words, figures and letters, shall be substituted namely:-  
“[See section 206C, 206CC, 206CCA and rule 31AA]”;

(b) for the “Annexure”, the following “Annexure” shall be substituted, namely:-

“ANNEXURE -: PARTY WISE BREAK UP OF TCS

(Please use separate Annexure for each-line item in Table at Sl. No. 04 of main Form 27EQ) Details of amount received/debited during the quarter ended .....(dd/mm/yyyy) and of tax collected at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G																			
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)																			
Challan Serial Number/DDO Serial No. of Form No. 24G																			
Amount as per Challan																			
Total TCS to be allocated among deductees as in the vertical total of Col. 677		Name of the Collector																	
Total interest to be allocated among the parties mentioned below		TAN																	
Sl. No.	Party reference number provided by the collector, if available	Party code (01-Company 02-Other than company)	PAN of the party	Name of the party	Total value of the transaction	Amount received/debited (dd/mm/yyyy)	Date on which amount received/debited (dd/mm/yyyy)	Collection Code (See Note 10)	Tax	Surcharge	Educational cess	Total tax collected [673+674+675]	Total tax deposited	Date of collection (dd/mm/yyyy)	Rate at which collected	Reason for non-collection/ or collection at higher	Number of the certificate u/s 206C issued by the Assessing Officer for lower	Whether the payment by collectee is liable to TDS as per clause (a) of the fifth proviso to sub-section (1G) or second	If, answer to [681A] is yes, then

	able															rate (See Note 1 to 9)	collec- tion of tax	proviso to sub-section (1H) and whether TDS has been deducted from such payment (if either "F" or "G" is selected in 680)	Challan number	Date of pay- ment of TDS to Central Govern- ment
[664]	[665]	[666]	[667]	[668]	[669]	[670]	[671]	[672]	[673]	[674]	[675]	[676]	[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681A]	[681B]	[681C]
1																				
2																				
3																				
Total																				

**Verification**

I, \_\_\_\_\_, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: \_\_\_\_\_ Signature of the person responsible for collecting tax at source \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Name and designation of the person responsible for collecting tax at source \_\_\_\_\_

**Notes:**

1. Write "A" if "lower collection" is on account of a certificate under sub-section (9) of section 206C.
2. Write "B" if "non-collection" is on account of furnishing of declaration under sub-section (1A) of section 206C.
3. Write "C" if collection is at higher rate under section 206CC on account of non-furnishing of PAN/Aadhaar by the collectee
4. Write "D" if no collection is on account of the first proviso to sub-section (1G) of section 206C.
5. Write "E" if no collection is on account of the fourth proviso to sub-section (1G) of section 206C.
6. Write "F" if no collection is on account clause (i) or clause (ii) of the fifth proviso to sub-section (1G) or in view of notification issued under the clause (ii).
7. Write "G" if no collection is on account of the second proviso to sub-section (1H) of section 206C.

8. Write "H" if no collection is on account of sub-clause (A) or sub-clause (B) or sub-clause (C), or in view of notification issued under sub-clause (c), of clause (a) of the Explanation.
9. Write "I" if collection is at a higher rate in view of section 206CCA\*.
10. Write collection code as mentioned below:

Section	Nature of collection	Collection Code	
206C	Collection at source from alcoholic liquor for human consumption	6C	A
206C	Collection at source from timber obtained under forest lease	6C	B
206C	Collection at source from timber obtained by any mode other than a forest lease	6C	C
206C	Collection at source from any other forest produce (not being tendu leaves)	6C	D
206C	Collection at source from scrap	6C	E
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to parking lots	6C	F
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to toll plaza	6C	G
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to mine or quarry	6C	H
206C	Collection at source from tendu leaves	6C	I
206C	Collection at source on sale of minerals, being coal or lignite or iron ore	6C	J
206C	Collection at source on cash sale of bullion and jewellery	6C	K
206C	Collection at source on sale of motor vehicle	6C	L
206C	Collection at source on remittance under LRS for purchase of overseas tour program package	6C	O
206C	Collection at source on remittance under LRS for educational loan taken from financial institution mentioned in section 80E	6C	P
206C	Collection at source on remittance under LRS for purpose other than for purchase of overseas tour package or for educational loan taken from financial institution	6C	Q
206C	Collection at source on sale of goods	6C	R"

\* Note In relation to section 206CCA, the changes shall come into effect from 1<sup>st</sup> July, 2021.

6. In principal rules, in Appendix II, in Form 27Q, –

(a) for the brackets, words, figures and letters “[See section 194E, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A and rule 31A]”, the following brackets, words, figures and letters shall be substituted, namely:-

“[See section 194E, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]”;

(b) for the “Annexure”, the following “Annexure” shall be substituted, namely:-







5. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.
6. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the third proviso to section 194N or on account of notification issued under the fourth proviso to section 194N.
7. Write "O" if no deduction is in view of clause (a) or (b) of sub-section (1D) of section 197A.
8. Write "H" if no deduction is in view of proviso to sub-section (1A) of section 196D in respect of an income paid to a specified fund which is exempt under clause (4D) of section 10.
9. Write "I" if no deduction is in view of sub-section (2) of section 196D in respect of income of the nature of capital gains on transfer of securities referred to in section 115AD paid or payable to a Foreign Institutional Investor.
10. Write "J" if deduction is at higher rate in view of section 206AB for non-filing of return of income by the non-resident having a permanent establishment in India\*.
11. List of section codes is asunder:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
194E	Payments to non-resident Sportsmen/Sport Associations	94E
194LB	Income by way of interest from infrastructure debt fund	4LB
194LBA(a)	income referred to in section 10(23FC)(a) from units of a business trust.	LBA1
194LBA(b)	Income referred to in section 10(23FC)(b) from units of a business trust	LBA2
194LBA(c)	Income referred to in section 10(23FCA) from units of a business trust	LBA3
194LBB	Income in respect of units of investment fund	LBB
194LBC	Income in respect of investment in securitisation trust	LBC
194LC	Income by way of interest from Indian company	4LC
194LD	Income by way of interest on certain bonds and Government securities.	4LD
194N	Payment of certain amounts in cash	94N
194N First Proviso	Payment of certain amount in cash to non-filers.	4N-F
195	Other sums payable to a non-resident	195
196A	Income in respect of units of Non-Residents	96A
196B	Payments in respect of Units to an Offshore Fund	96B
196C	Income from Foreign Currency Bonds or shares of Indian Company payable to Non-Resident	96C
196D(1)	Income of foreign institutional investors from securities under sub-section (1)	96D

196D(1A)	<i>Income of specified fund from securities referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD (other than interest income referred to in section 194LD)</i>	96DA
----------	---	------

12. *In case of deductees covered under rule 37BC, Permanent Account Number or Aadhaar Number NOT AVAILABLE should be mentioned.”*

\* Note In relation to section 206AB, the changes shall come into effect from 1<sup>st</sup> July, 2021.

[Notification No. 71/2021/F. No. 370142/19/2021-TPL]

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Jt. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 338(E) dated 24<sup>th</sup> May, 2021